संख्या-235/2015/1444/9-8-2015-03पी/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

विषयः- नगर निगम-वाराणसी स्थित अर्दली बाजार में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित दायर रिट याचिका- (सिविल) 309/2003, लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में प्रदेश के स्थानीय नागर निकायों में स्थित पुरानी पद्वति की जीर्ण-शीर्ण पशुवधशाओं का आधुनिकीकरण एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 2394/9-8-2014-03 (पी)/214 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुरानी पद्वति की पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से नगर निगम-वाराणसी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना का सक्षम स्तर पर परीक्षणोंपरांत (प्रति संलग्न) नगर निगम-वाराणसी स्थित अर्दली बाजार में आधुनिक पशुवधशाला की स्थापना किये जाने हेतु निम्न विवरण/शर्तो के अनुसार नगर निगम-वाराणसी, जनपद-वाराणसी के लिए रूपये 518.65 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 259.325 लाख (रूपये दो करोड़ उनसठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र.	परियोजना का विवरण	प्रस्तावित धनराशि	पीएफएडी द्वारा मूल्यांकित धनराशि	वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि	वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
a)	Cos of Land, Site Development	10.00	07.00		
b)	Buildings & Civil Works	132.02	92.41		
c)	Plant & Equipment (Erected cost) Cost of large Animal Slaughter line	161.93	161.93		
	Cost of ETP	60.75	60.75		
	Cost of Equipment for Blood Coagulation Plant	48.65	48.65		
	3Nos Model Meat shop	12.15	12.15		
d)	Cost of PMC+Service Tax	19.06	13.34		
e)	Cost of other equipment i.e DG Set, Electrical system, 2 nos small Vehicle for transportation of carcasses, Fire fighting system, drainage system, lab, water distribution system	160.00	112.00		

http://shasanadesh.up.nic.in

	etc.				
f)	Pre-Operative Expenses Cost of Preparation of DPR and Preliminary Engineering	4.34	02.50		
	Escalation @10% of fixed assets	58.55	00		
	Cost of Establishment	20.00	00		
	Total Insurance @1%of fixed assests	5.76	00		
	Total Pre-Operative Expences	88.64	00		
g)	Contingencies@2%	11.51	07.92		
	TOTAL PROJECT COST	704.72	518.65	518.65	259.325

(रूपये दो करोड़ उनसठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुस्त न आहरित कर आवश्यकता अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा, इस कमेटी द्वारा प्रस्तावित कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना में प्रस्तावित डी0जी0 सेट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, की लागत एकमुश्त प्रस्तावित की गयी है। यह कार्यमदें प्रोप्राइटरी प्रकृति की है, इनके मेक माडल स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। इसके दृष्टिगत इन कार्यमदों हेतु 70 प्रतिशत की लागत अनुमन्य की गयी है, परन्तु इन कार्यमदों हेतु प्रतिस्पर्था के आधार पर कोटेशन प्राप्त किया जाय तथा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रायोजना में ड्रेनेज सिस्टम, लैब एवं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की लागत एक मुश्त आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इन कार्यमदों की प्रस्तावित लागत का आधार उपलब्ध न होने के कारण प्रभाग द्वारा 70 प्रतिशत लागत अनुमन्य की गयी परन्तु इस कार्यमदों का विस्तृत आगणन जनपद के अनुसूची दर पर गठित किया जाय। गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य कराया जाय।

(9) शासन द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था का होगा।

3. नगर निगम-वाराणसी स्थित अर्दली बाजार में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण किये जाने नगर निगम वाराणसी होगी।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास (क्रमशः)-80-सामान्य (क्रमशः)-10 पशुवशालाओं का आधुनिकीकरण-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2493-दस-15, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-235/2015/1444(1)/9-8-2015 तददिनांक ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम-वाराणसी, जनपद-वाराणसी।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in